संख्या-10/2015/337/सैंतीस-2-2015-1(17)/05

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-16 मार्च, 2015

विषय: **गायों/भैंसो में कृत्रिम गर्भाधान एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जि0यो0) वर्ष 2014-15 (टी.एस.पी.) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-57/पशुधन-2/22/1/4/2014-15, दि0- 12.02.2015 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश सं0-1653/सैंतीस-2-2014-1(17)/05, दिनांक 17.07.2014 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष रू0-274.00 हजार (रूपये दो लाख चौहत्तर हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 की जिला योजना में उक्त योजना हेतु आवंटित जनपदवार परिव्यय की सीमान्तर्गत धनराशि का आहरण किया जायेगा :-

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा टी.एस.पी./एस.सी.एस.पी. हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दि0-22.07.2014 तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0 06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

4- स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैण्डबुक तथा बजट मैनुअल तथा स्टोर पर्चेज के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा।

5- यह धनराशि उन्हीं मदों में व्यय की जाये जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। स्वीकृत मद से भिन्न मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी, जिसका उत्तरदायित्व आपका होगा।

6- धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी सुसंगत शासनादेशों एवं उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-81 के अधीन लेखाशीर्षक-"2403-पशुपालन-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-04-गाय और भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधा एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराना (जि.यो.)-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(**सुरेन्द्र सिंह**)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-10/2015/337(1)/सैंतीस-2-2015- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक,पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक/ संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. संबंधित कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
7. उप निदेशक, संबंधित मण्डल, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(**रणविजय सिंह**)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सं0-10/2015/337/सैंतीस-2-2015-1(17)/05, दि0-16 मार्च, 2015 का संलग्नक-

गाय एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जि.यो.) वर्ष 2014-15 (ट्राइबल सब प्लान)

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र.सं.	जनपद का नाम	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति
1.	खीरी	80.00
2.	सिद्धार्थनगर	44.00
3.	बलरामपुर	30.00
4.	बिजनौर	70.00
5.	सोनभद्र	50.00
	योग-	**274.00**

(रूपये दो लाख चौहत्तर हजार मात्र)

(**रणविजय सिंह**)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।